‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 30.11.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रुपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 1 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 30 नवंबर, 2017

प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन

डॉ. उदित राज

निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात गत कई वर्षो से बार-बार उठ रही है । यह विषय चर्चा में फिर से आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सरकार द्वारा निजी कंपनियों को काम(आउटसोर्सिंग) में दलित और पिछड़ों को आरक्षण दिया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष खड़ा हो गया। विरोध करने वाले सोचते हैं कि इससे मेरिट पर असर पड़ेगा । दलित और पिछड़े अनारक्षित वर्ग के बच्चों का हक मारेगे । इसमें यह भी भ्रान्ति है कि इससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । आरक्षण के पक्षधर कहते हैं कि एक बार प्रवेश द्वार में घुसने की इजाजत तो दो, वो भी साबित करेंगे कि वे किसी से कम नही हैं । मेरिट एक बकवास है, जिसे अवसर न मिले वह अपनी मेरिट कैसे सिद्ध कर सकता हैं ? जहाँ तक उत्पादन की बात है वह बढ़ेगी ही क्योंकि ये मेहनती होने के साथ-साथ आकाविहीन भी हैं इसलिए कार्य में आनाकानी नही करते ।

सबसे पहले आरक्षण विरोधियों के तर्क पर चर्चा करते हैं । नेपोलियन ने कहा था कि बिना अवसर के योग्यता के क्षमता का आंकलन करना संभव नहीं है । अंग्रेजों ने जब इंडियन सिविल सर्विसेस की शुरुआत करी थी तो भारतीय प्रतियोगिता में सफल नही हो पा रहे थे और तब दादा भाई नौरोजी ने आन्दोलन किया था कि यहाँ के लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिए । जन्म से कोई मेरिट लेकर नहीं पैदा होता है, जो मेरिट की बात करते हैं वे यह बताएं कि हमने कौन सी खोज, आविष्कार या तकनीक विकसित किया है । लगभग 95 प्रतिशत ज्ञान- विज्ञान एवं तकनीक हम आयातित करते हैं । जो निजी क्षेत्र उत्पादन और गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो यह भी बताये कि कौन से बड़े व्यापारी ने इस देश में खोज और आविष्कार किया है । जुकरबर्ग ने फेसबुक का आविष्कार करके पैसा कमाया, बिल गेट्स ने कंप्यूटर विंडोज का। स्टीव जॉब ने एप्पल की तकनीक खोज कर उद्योग को बढाया। विज्ञान, इंजीनियरिंग, बायोलोजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं मेडिकल के विषयों को कौन भारत में शिक्षा पद्धति के रुप में लाया । विषय एवं ज्ञान को किसने दिया । यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में यह सब कुछ था और वेद पुराण इसको प्रमाणित करते हैं। हजारों वर्ष पहले क्या हुआ उसको नकारना या स्वीकार करने के पचड़े में न पड़ते हुए मेरिटधारियों से पूछा जाये कि अब कौन रोक रहा इन्हें आविष्कार करने से । आज तक

भारत जहाज नहीं बनाता। युद्ध के ज्यादातर हथियार विदेशों से ही खरीदे जाते हैं। इन मेरिटधारियों की सोंच सही होती तो ज्ञान और तकनीक हम विकसित कर गए होते। यूरोप में जिन्होंने लोहे और औजार के क्षेत्र में कार्य किये उनके हाथों को सम्मान दिया गया और इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने मेटलर्जी विषय विकसित कर दिया और हमारे यहाँ तो लोहार ही रह गया। जिन्होंने मकान बनाया तो उनको सम्मान मिला और धीरे-धीरे वो इंजिनियर हुए और हमारे यहाँ तो मिस्त्री और मजदूर ही बना रहा। अगर हमने भी चमड़ा निकालना, पकाना और उसके बाद नाना प्रकार के उपयोग की वस्तुएं बनाने वाले को नीच व अछूत न कहे होते तो वह भी विषय को विकसित करते और वे भी टेक्नोक्रेट होते । हमे बाहर से ज्ञान को आयातित न करना पड़ता । अभी भी हम नही चेत पाए हैं और इसीलिए हमारा आयात बहुत ज्यादा है और निर्यात कम। कोरिया और चीन जैसे देश लगभग 30-40 साल पहले लगभग हमारे बराबर थे आज वो कहाँ खड़े हैं सभी जानते हैं ।

दलित- पिछड़े अगर निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो मुफ्त में तो वेतन नही ले जायेंगे बल्कि उत्पादन ही बढ़ेगा रेलवे बहुत बड़ा विभाग है । दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स के प्रो. अश्विनी देशपांडे एवं मिशिगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक प्रो. थामस विसकॉफ ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण देने के कारण भारतीय रेलवे में 1980 एवं 2002 की अवधि का अध्ययन किया। यह रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में भी छपी तो पाया कि आरक्षण से प्रतिकूल असर नही पड़ा बल्कि जहाँ पर दलित -आदिवासी कर्मचारी अधिक थे वहां उत्पादन बढ़ा ही ।

निजी क्षेत्र में आरक्षण से देश को कितना लाभ होने वाला है । जिस आबादी को बिहार सरकार ने आरक्षण दिया वह लगभग 80 प्रतिशत है। इनकी आय बढ़ेगी तो घूम फिरकर के फायदा किसका होगा। उद्योग-धंधे ज्यादातर सवर्णो के हाथों में हैं तो सामान उनका ही बिकेगा। इनकी क्रय शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा । इससे निवेश भी बढ़ेगा और गुणवत्ता, जात-पात भी इससे कम होगा। इस अवसर से लोग शिक्षित होंगे और इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और जन प्रतिनिधियों का चुनाव भी बेहतर हो सकेगा। गरीबी एक अभिशाप है और उसके रहते स्वस्थ्य एवं खुशहाल वातावरण का होना मुश्किल होगा। ऐतिहासिक तथ्य भी यही कहते हैं कि जहाँ आरक्षण पहले लागू हुआ वहां विकास ज्यादा हुआ है। उत्तर भारत में आरक्षण आजाद भारत के बाद ही लागू हुआ जबकि मद्रास में 1921 में आरक्षण लागू हुआ, त्रावणकोर और मैसूर में 1935 में और महाराष्ट्र में 1902 में। यह 4 राज्य कितने विकसित हैं यह हम सब जानते हैं । आरक्षण विरोधी देश हित में अपने विचार बदलें और विरोध छोड़े ।

***

परिसंघ की रैली

26 दिसंबर,2017 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में

साथियों जय भीम, 4 दिसम्बर 2017 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ की राष्ट्रीय रैली की तिथि रखी गयी थी। संसद सत्र के देरी से शुरु होने की वजह से अब यह तिथि बदलकर सर्वसम्मति से 26 दिसंबर, 2017 तय की गयी है। साथियों, अब हमें तैयारी का अतिरिक्त समय मिल गया है तो रैली और भी बड़ी होनी चाहिए। आप सभी पूरी तैयारी से जुट जाएं। हैंडबिल, पोस्टर, बैनर इत्यादि का नमूना आप सभी को पहले ही भेजा जा चुका था, उसमें तिथि बदलकर अपनी यूनिट की ओर से छपवा लें। यदि राष्ट्रीय कार्यालय से चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबरों पर सम्पर्क करें। जो लोग रेलवे से यात्रा करने वाले हैं, वे टिकट अभी से कर लें, यदि वेटिंग है तो पी.एन.आर. हमें भेज दें ताकि रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगवाकर कन्फर्म करवाया जा सके। सर्दी के समय ज्यादातर रेलगाड़िया देरी से चलती हैं, इसलिए कोशिश करें कि 25 दिसंबर को ही दिल्ली पहुंच जाएं, ताकि रैली में शामिल होने में कठिनाई न हो। ठहरने की व्यवस्था डॉ. अम्बेडकर भवन, नजदीक झंडेवालान मैट्रो, नई दिल्ली पर की गयी है। अधिक जानकारी के लिए प्रदेश अध्यक्षों या राष्ट्रीय कार्यालय को सम्पर्क करें।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook.com/aiparisangh पेज को लाइक करें, टिवट्र @aiparisangh को फॉलो करें और www.vobnews 24.com भी देखें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

परिसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक मे महिला प्रकोष्ठ की शानदार प्रदर्शन

दिनांक 5 नवंबर, 2017 रविवार को कांस्टिट्यूशन क्लब , नई दिल्ली में परिसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई।

डॉ. उदित राज जी के साथ सविता कादियान पंवार, ममता गेडाम, सुनिता, डॉ. तनुप्रिया, रिटा सरकार एवं परिसंघ महिला प्रकोष्ठ टीम

बैठक में मुख्य रुप से परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज सहित राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव सचिव, वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में 4 दिसंबर, 2017 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में होने वाली महारैली पर विस्तार से चर्चा हुआ। और तैयारी हेतु सभी प्रदेशों में कितने लोग आएंगे कितने मीटिंग करेगे। कितने लोग आएंगे क्या तैयारी रहेगी, इस पर अपने अपने विचार रखे और भारी से भारी संख्या में लोगों ने लाखों-लाख संख्या में आने के लिए आश्वासन दिए, रैली पदोन्नति में आरक्षण निजी क्षेत्र में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती, आरक्षण कानून बनाओ, समान और अनिवार्य शिक्षा, न्यायपालिका में आरक्षण, खेल में आरक्षण, दलित उत्पीड़न महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर अपने अधिकार लेने के लिए देश से दलित शोषित समाज रामलीला मैदान से अब अपनी भागेदारी हेतु, 26 दिसंबर को अपनी गर्जना दिल्ली के रामलीला मैदान से करेंगे । महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमति सविता कदियान पंवार जी अपनी दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष सुनीता केम व महाराष्ट्र से ममता, संध्या जी बिहार से पूजा व अनेको सक्रिय महिला कार्यकर्ताओ के साथ जिसमे रश्मि, ममता, कमलेश, सोनिया, डॉ. वैलनटिना, डॉ. तनूप्रिया, संध्या, सुरेखा आदि परिसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मे शामिल हुई साथ ही सविता जी ने बताया कि महारैली की तैयारी मे महिला प्रकोष्ठ टीम दिन रात मेहनत रही है और लगातार दिल्ली के अनेकों क्षेत्रों में असंख्य महिलाओं की मीटिंग की जा रही है और यूपी और महाराष्ट्र की बड़ी मीटिंग का पारुप भी तैयार किया है। और बहुत बडी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस 20 महारैली मे हो इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास हो रहा हैं। क्योकि इस बार इस महारैली में ''याचना नही अब रण होगा, संघर्ष अब बड़ा भीषण होगा।''

– सविता कादियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक, महिला प्रकोष्ठ
मो. 9873944026

***

बिहार सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण-परिसंघ की जीत

निजी क्षेत्र में आरक्षण समय की जरूरत है

निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पर विचार करने से पहले यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि आरक्षण के मसले पर मेरिट, सामान्य श्रेणी के साथ अन्याय व निजी क्षेत्र की स्वायत्तता में बेमानी दखल जैसे तर्कों पर फालतू चर्चा का अब कोई मतलब नहीं है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की हिमायत करते हुए इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की मांग की है। कोई भी लोकतांत्रिक सोच रखनेवाला व्यक्ति इस विचार से असहमत नहीं हो सकता है। असहमति आरक्षण या पॉजिटिव अफरमेटिव एक्शन या रिक्रूटमेंट के लागू करने के तौर-तरीके के बारे में हो सकती है, और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरिट या किसी ऐसे ही कुतर्क के सहारे इस मांग को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह अलहदा बात है कि नीतीश कुमार की अपनी मंशा कितनी ईमानदार है। यह बात कहने का आधार यह है कि मुख्यमंत्री ने इसे अपनी निजी राय बतायी है। इस हिसाब से यह एक राजनीतिक दांव भी कहा जा सकता है। बहरहाल, यह एक अलग मुद्दा है। जहां तक निजी क्षेत्र में आरक्षण का सवाल है, इसके पक्ष में अनेक ठोस तर्क हैं।

निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की वैधता पर विचार करने से पहले यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि आरक्षण के मसले पर मेरिट, सामान्य श्रेणी या अगड़ों के साथ अन्याय तथा निजी क्षेत्र की स्वायत्तता में बेमानी दखल जैसे तर्कों पर फालतू चर्चा का अब कोई मतलब नहीं है। संसद से सड़क और अदालतों तक दशकों तक ये चर्चाएं हुई हैं तथा आरक्षण के पक्ष में ठोस वैधानिक व्यवस्थाएं लागू हैं। आरक्षण कोई दया या दान नहीं है, यह कोई गरीबी मिटाओ योजना नहीं है, यह भी समझाया जा चुका है।

भारतीय संविधान के जिस हिस्से में आरक्षण-संबंधी प्रावधान हैं उनमें 'प्रतिनिधित्व' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में देश की वंचित आबादी का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि जिन तबकों के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था है, आबादी में उनका हिस्सा तीन-चौथाई के करीब है। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब भी वंचितों के अधिकारों के बारे में बहस होती है, आरक्षण-विरोधी घिसे-पिटे तर्कों को बार-बार दोहराते हैं। हमारे देश में वंचित समुदायों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने की परंपरा सौ साल से अधिक पुरानी है, जब पुणे, मैसूर, त्रावणकोर आदि के रजवाड़ों ने शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मौजूदा चर्चा पिछले साल फरवरी में तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार से की। आयोग का कहना था कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार घट रही हैं, ऐसे में आरक्षण का विस्तार निजी क्षेत्र में करना होगा। जो लोग यह शोर मचाते रहते हैं कि आरक्षण के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, उन्हें यह जानना चाहिए कि एक आकलन के मुताबिक शिक्षित लोगों के लिए देश में उपलब्ध कुल नौकरियों में मात्र 0.69 फीसदी ही आरक्षित हैं यानी एक फीसदी से भी कम। वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वे बताता है कि 2006 में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 1.82 करोड़ थी, जो 2012 में घटकर 1.76 करोड़ हो गयी यानी उक्त अवधि में सरकारी नौकरियों में 3.3 फीसदी की कमी आयी।

इसके बरक्स निजी क्षेत्र में 2006 में 87.7 लाख नौकरियां थीं, जो 2012 में बढ़ कर 1.19 करोड़ हो गयीं। यह 35.7 फीसदी की बढ़त थी। नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की सबसे अधिक मार रोजगार पर ही पड़ी है। कुछ और जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जनसंख्या के हिसाब से देश में 09 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी), 19 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 44 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग हैं। ध्यान रहे, जातिगत जनगणना के आंकड़े छुपा कर रखे गये हैं। अगर वे जारी हो जाएं तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। विभिन्न आकलनों की मानें तो एससी में 43 फीसदी, एसटी में 29 फीसदी और ओबीसी में 21 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। उच्च जातियों में यह आंकड़ा 13 फीसदी है। अब देखिये, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2011-12 के आंकड़े क्या बता रहे हैं- माध्यमिक और उससे आगे की शिक्षा के हिसाब से एसटी में 21 फीसदी, एससी में 17 फीसदी और ओबीसी में 30 फीसदी लोग शिक्षित हैं। उच्च जातियों में यह आंकड़ा 46 फीसदी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हालत बेहद खराब है। एसटी के 03 फीसदी, एससी के 04 फीसदी, ओबीसी के 06 फीसदी और उच्च जाति के 15 फीसदी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। अब नौकरियों का हिसाब देखा जाये। अनियमित नौकरियों में एसटी के 83 फीसदी, एससी के 75 फीसदी और ओबीसी के 64 फीसदी लोग हैं। नियमित रोजगार में उच्च जाति का हिस्सा 70 फीसदी है। सरकारी क्षेत्र में एसटी और एससी का हिस्सा 09 और 18 फीसदी है जो कि उनकी आबादी के अनुपात के करीब है, परंतु निजी क्षेत्र में यह आंकड़ा एसटी के लिए 03 फीसदी और एससी के लिए 13 फीसदी है। निजी क्षेत्र में उच्च जाति की भागीदारी अपनी आबादी के अनुपात से लगभग दुगुनी 39 फीसदी है। यह भी रेखांकित करना जरूरी है कि सरकारी नौकरी में वंचित तबकों की भागीदारी मुख्य रूप से निचली या कौशलरहित श्रेणियों में है। अध्ययन बताते हैं कि 60 फीसदी से अधिक सरकारी सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति से हैं। इन आंकड़ों को अगर हम आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन के साथ रखकर देखें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि संविधान में वंचितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उसमें सात दशकों में बेहद निराशाजनक प्रगति हुई है।

आरक्षण के विरुद्ध दिये जाने वाले सभी तर्क इन आंकड़ों के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। प्रताड़ना, शोषण, अपमान, कल्याण योजनाओं की बंदरबांट जैसे अन्य पहलू भी हैं, जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मजदूरों के मेहनताने से लेकर उनके अधिकारों का जो हनन होता रहा है, अभी उसका लेखा-जोखा लिया जाना तो बाकी ही है। वर्ष 2005 में उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का जो नियमन हुआ था, उसमें गैर-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान है, पर एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। वर्ष 2004 के नवंबर में 218 बड़े औद्योगिक घरानों और कॉरपोरेट संस्थाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर एक पत्र दिया था जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को सक्षम बनाने के लिए अफरमेटिव एक्शन के माध्यम से गंभीरता से प्रयास करने का आश्वासन दिया गया था। तब वैधानिक तौर पर आरक्षण का जोरदार विरोध भी दर्ज कराया गया था। लेकिन, यह बात दावे से कही जा सकती है कि कुछ गिने-चुने प्रयासों के अलावा कॉरपोरेट समूहों ने इस भरोसे का मान नहीं रखा। बाबासाहेब आंबेडकर की यह बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए कि सामाजिक विषमताओं के खात्मे के बिना सिर्फ आर्थिक समस्याओं के आधार पर नीतियों का अंबार लगा देना कोई समाधान नहीं है और यह गोबर के टीले पर महल खड़ा करने जैसा होगा।

पिछले कुछ सालों से वैश्विक मंदी और मुनाफाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भारी संकट पैदा किया है। सरकारें भी अपनी जवाबदेही से लगातार पीछे हटती जा रही हैं। रोजगार में कमी अब निजी क्षेत्र में भी है, निजी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। ऐसी स्थिति में वंचित समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण इस दिशा में एक बड़ी पहल होगी। इसके साथ ही आरक्षण के समर्थन और विरोध में खड़े सामान्य नागरिकों को बेहतर शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए भी सरकारों पर दबाव बनाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण का पूरा लाभ भी नहीं मिल सकेगा और आरक्षण के दायरे से बाहर के समुदायों को स्वार्थी समूह भड़काकर अपने हितों को साधते रहेंगे। समय-समय पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। अब उनकी भी परीक्षा की घड़ी आ रही है।

http://thewirehindi.com/24087/bihar-cm-nitish-kumar-reservation-private-sector/

***

जाति जनगणना का क्या हुआ

दिलीप मंडल

जातिवार जनगणना की मृत्यु हो चुकी है और बिना किसी रुदाली के उसे दफना भी दिया गया है। इसकी कब्र पर अब रोने वाला भी कोई नहीं है। यह सब बेहद चुपचाप हुआ। 2017 के जुलाई महीने की छब्बीस तारीख को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति की इस बैठक में फैसला किया गया कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) के लिए हुए 4893 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी जाए। पहले इस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान था। साथ ही, मंत्रिमंडल की इस समिति ने कहा कि यह जनगणना 31 मार्च, 2016 को संपन्न हो चुकी है और इस परियोजना के सभी लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। सरकार ने न सिर्फ यह फैसला किया, बल्कि बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी सार्वजनिक भी कर दी।

यह भारत की संसद के साथ की गई बहुत गंभीर वादाखिलाफी है। जाति जनगणना लोकसभा में बनी सर्वदलीय सहमति के बाद हो रही थी। खुद सरकार ने माना है कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के तीन लक्ष्य थे। एक, सामाजिक-आर्थिक हैसियत के अनुसार परिवारों का बंटवारा करना। दूसरा, ऐसा विश्वसनीय आंकड़ा जुटाना, जिससे देश में जाति आधारित गिनती की जा सके। और तीसरा, विभिन्न जातियों और सामाजिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में आंकड़े जुटाना।सरकार खुद बता रही है कि इस परियोजना के दूसरे और तीसरे लक्ष्य के आंकड़े उसके पास नहीं हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यह कैसे कह रही है कि सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के 'सभी लक्ष्य पूरे' हो चुके हैं? जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार का कोई मामूली फैसला नहीं था। भारत की आजादी के बाद कभी जाति जनगणना हुई नहीं थी। आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई। वर्ष 1941 में जातियों की गिनती होनी थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़े जुटाए नहीं जा सके। आजादी मिलने के बाद बनी सरकार ने जाति की गिनती नहीं करने का फैसला किया। इसके लिए उस समय कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन समझा जा सकता है कि नेहरूवादी आधुनिकता ने जाति के प्रश्न को सामने न लाने का फैसला किया होगा। संभवतः यह माना गया होगा कि जाति का जिक्र न करने और आंकड़े न जुटाने से जाति खत्म हो जाएगी। लेकिन न तो ऐसा होना था और न ऐसा हुआ।

मंडल आयोग ने आजादी के बाद पहली बार इस बात पर जोर दिया कि जाति भारतीय समाज की सच्चाई है और इसके आंकड़े जुटाए बिना सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान मुश्किल है। मंडल आयोग ने जाति जनगणना कराने की सिफारिश की थी। वर्ष 1997-1998 में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 2001 की जनगणना में जाति को शामिल करने का फैसला मंत्रिमंडल की एक बैठक में किया था। लेकिन इसके बाद आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पिछली सरकार के इस कैबिनेट नोट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और 2001 की जनगणना बिना जाति गिने पूरी हो गई। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना की बारी थी। इस समय तक शायद देश भी इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि जाति नहीं गिनने का जाति के खत्म होने या न होने से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जब जनहित अभियान समेत कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने 2011 की जनगणना में जाति को गिनने का सवाल उठाया, तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिला। यह मामला बार-बार संसद में उठा, आखिरकार 6 मई और 7 मई, 2010 को लोकसभा में इस पर लंबी बहस चली। सदन में मौजूद हर दल के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। सत्तापक्ष पहले तो टालमटोल का हर जतन करता रहा, लेकिन संसद के भीतर और संसद के बाहर भी जाति जनगणना को लेकर ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों से लेकर समाजवादी पार्टी और दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक के दल जाति जनगणना कराने पर सहमत हो गए। सदन में बनी सहमति को देखते हुए, 7 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी।

इसके बाद जाति जनगणना का मामला हमेशा के लिए सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन, इस बिंदु पर आकर नौकरशाही और कार्यपालिका के जातिवादी तत्त्वों ने साजिश रच दी। उन्होंने कहा कि 2011 की दस वर्षीय जनगणना में जाति को शामिल करने की जगह अलग से जाति जनगणना करा ली जाए। यह एक बड़ा घोटाला था। 2011 के फरवरी माह में दस वर्षीय जनगणना होनी थी और उसके फॉर्म में जाति का एक कॉलम जोड़ने से जाति की गिनती हो जाती। सन 1931 से पहले यह काम इसी तरह होता था। अलग से जाति गिनने में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यह काम जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत नहीं होता। इस वजह से इस काम में सरकारी शिक्षकों को शामिल करना मुश्किल हो गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जनगणना के अलावा किसी भी और कार्य में सरकारी शिक्षकों को लगाने की मनाही है।जाति जनगणना को मनमोहन सिंह सरकार ने दसवर्षीय जनगणना से अलग करके, सामाजिक-आर्थिक जनगणना के साथ जोड़ दिया, जिसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे के यानी बीपीएल परिवारों की पहचान करना था। इस काम में निजी कंपनियों के कर्मचारी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कार्यकर्ता लगा दिए गए। नतीजा यह रहा कि जाति जनगणना के आंकड़ों में भयंकर गलतियां हुईं। तब तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। मोदी सरकार ने इन गलतियों को सुधारने के लिए नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया के नेतृत्व में एक समिति बना दी। यह आश्चर्यजनक है कि जिन पानगड़िया को जाति और समाजशास्त्र की कोई समझ नहीं थी और जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनको जाति के आंकड़ों की गलतियां निकालने का जिम्मा सौंप दिया गया।

आज स्थिति यह है कि पानगड़िया अपना काम छोड़ कर अपनी पुरानी नौकरी यानी पढ़ाने के काम में लौट चुके हैं। आज तक सरकार ने पानगड़िया समिति के बाकी सदस्यों को नियुक्त नहीं किया। यानी वह समिति कभी बनी ही नहीं, जिसे जाति जनगणना के आंकड़े दुरुस्त करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। इस तरह जाति जनगणना के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने जिस घपले की शुरुआत की, उसे भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम तक पहुंचाया। जाति जनगणना एक ऐसा शिशु साबित हुआ, जिसका जन्म हो ही नहीं पाया। इस पूरी कवायद में भारतीय राजकोष के लगभग पांच हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए। जाति जनगणना के लिए जो हैंडहेल्ड मशीनें आई थीं, उनका एक ही बार इस्तेमाल हुआ। 200 करोड़ रुपए में चीन से खरीदी गई उन मशीनों का अब क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। 5,000 करोड़ की इस गिनती से कोई रिपोर्ट नहीं बनी, लेकिन इस नाकामी के लिए किसी पर गाज नहीं गिरी। जाति जनगणना 2011 शुरुआत से ही अभिशप्त थी। बहुत बेमन से इसे कराया गया और ऐसे हालात बना दिए गए कि जाति जनगणना की मांग करने वाले और संसद को इसके लिए मजबूर कर देने वाले भी भूल गए कि ऐसी कोई जनगणना कभी हुई थी।

***

भारत में कल्चर बन चुका है भ्रष्टाचार - न्यूजीलैंडवासी ब्रायन की कलम से

ब्रायन, गाडजोन न्यूजीलैंड

दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्त देशों में शीर्ष पर गिने जाने वाले न्यूजीलैण्ड के एक लेखक ब्रायन ने भारत में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार पर एक लेख लिखा है। ये लेख सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेख की लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए विनोद कुमार जी ने इसे हिन्दी भाषीय पाठ्कों के लिए सम्पादित और अनुवादित किया है।

- न्यूजीलैंड से एक बेहद तल्ख आर्टिकिल

भारतीय लोग होब्स विचारधारा वाले है (सिर्फ अनियंत्रित असभ्य स्वार्थ की संस्कृति वाले)

भारत में भ्रष्टाचार का एक कल्चरल पहलू है। भारतीय भ्रष्टाचार मे बिलकुल असहज नहीं होते, भ्रष्टाचार यहाँ बेहद व्यापक है। भारतीय भ्रष्ट व्यक्ति का विरोध करने के बजाय उसे सहन करते हैं। कोई भी नस्ल इतनी जन्मजात भ्रष्ट नहीं होती ये जानने के लिये कि भारतीय इतने भ्रष्ट क्यों होते हैं उनके जीवनपद्धति और परम्परायें देखिये।

भारत में धर्म लेनेदेन वाले व्यवसाय जैसा है। भारतीय लोग भगवान को भी पैसा देते हैं इस उम्मीद में कि वो बदले में दूसरे की तुलना में इन्हे वरीयता देकर फल देंगे। ये तर्क इस बात को दिमाग में बिठाते हैं कि अयोग्य लोग को इच्छित चीज पाने के लिये कुछ देना पड़ता है। मंदिर चहारदीवारी के बाहर हम इसी लेनदेन को भ्रष्टाचार कहते हैं। धनी भारतीय कैश के बजाय स्वर्ण और अन्य आभूषण आदि देता है। वो अपने गिफ्ट गरीब को नही देता, भगवान को देता है। वो सोचता है कि किसी जरूरतमंद को देने से धन बरबाद होता है।

जून 2009 मे द हिंदू ने कर्नाटक मंत्री जी जनार्दन रेड्डी द्वारा स्वर्ण और हीरो के 45 करोड मूल्य के आभूषण तिरुपति को चढाने की खबर छापी थी। भारत के मंदिर इतना ज्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं कि वो ये भी नही जानते कि इसका करें क्या। अरबों की सम्पत्ति मंदिरों मे व्यर्थ पडी हैं।

जब यूरोपियन इंडिया आये तो उन्होने यहाँ स्कूल बनवाये। जब भारतीय यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वो वहाँ मंदिर बनाते हैं।

भारतीयों को लगता है कि अगर भगवान कुछ देने के लिये धन चाहते हैं तो फिर वही काम करने में कुछ कुछ गलत नहीं है। इसीलिये भारतीय इतनी आसानी से भ्रष्ट बन जाते हैं।

भारतीय कल्चर इसीलिये इस तरह के व्यवहार को आसानी से आत्मसात कर लेती है, क्योंकि

1. नैतिक तौर पर इसमें कोई नैतिक दाग नहीं आता। कोई भी अति भ्रष्ट नेता सत्ता में आ जाता है, जो आप पश्चिमी देशों में सोच भी नहीं सकते ।

2. भारतीयों की भ्रष्टाचार के प्रति संशयात्मक स्थिति इतिहास में स्पष्ट है। भारतीय इतिहास बताता है कि कई शहर और राजधानियों को रक्षकों को गेट खोलने के लिये और कमांडरों को सरेंडर करने के लिये घूस देकर जीता गया। ये सिर्फ भारत में है भारतीयों के भ्रष्ट चरित्र का परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बेहद सीमित युद्ध हुये। ये चकित करने वाला है कि भारतीयों ने प्राचीन यूनान और माडर्न यूरोप की तुलना में कितने कम युद्ध लडे। नादिरशाह का तुर्को से युद्ध तो बेहद तीव्र और अंतिम सांस तक लडा गया था। भारत में तो युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, घूस देना ही सेना को रास्ते से हटाने के लिये काफी था। कोई भी आक्रमणकारी जो पैसे खर्च करना चाहे भारतीय राजा को, चाहे उसके सेना में लाखो सैनिक हों, हटा सकता था।

प्लासी के युद्ध में भी भारतीय सैनिको ने मुश्किल से कोई मुकाबला किया। क्लाइव ने मीर जाफर को पैसे दिये और पूरी बंगाल सेना 3000 में सिमट गई। भारतीय किलों को जीतने मे हमेशा पैसों के लेनदेन का प्रयोग हुआ। गोलकुंडा का किला 1687 में पीछे का गुप्त द्वार खुलवाकर जीता गया। मुगलों ने मराठों और राजपूतों को मूलतः रिश्वत से जीता श्रीनगर के राजा ने दारा के पुत्र सुलेमान को औरंगजेब को पैसे के बदले सौंप दिया। ऐसे कई केसेज हैं जहाँ भारतीयों ने सिर्फ रिश्वत के लिये बड़े पैमाने पर गद्दारी की।

सवाल है कि भारतीयों में सौदेबाजी का ऐसा कल्चर क्यों है जबकि जहाँ तमाम सभ्य देशों में ये सौदेबाजी का कल्चर नहीं है

3- भारतीय इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते कि यदि वो सब नैतिक रूप से व्यवहार करेंगे तो सभी तरक्की करेंगे क्योंकि उनका ''विश्वास धर्म'' ये शिक्षा नहीं देता। उनका कास्ट सिस्टम उन्हे बांटता है। वो ये हरगिज नहीं मानते कि हर इंसान समान है। इसकी वजह से वो आपस में बंटे और दूसरे धर्मो में भी गये। कई हिंदुओं ने अपना अलग धर्म चलाया जैसे सिख, जैन बुद्ध, और कई लोग इसाई और इस्लाम अपनाये। परिणामतः भारतीय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। भारत में कोई भारतीय नहीं हैं, वो हिंदू ईसाई मुस्लिम आदि हैं। भारतीय भूल चुके हैं कि 1400 साल पहले वो एक ही धर्म के थे। इस बंटवारे ने एक बीमार कल्चर को जन्म दिया। ये असमानता एक भ्रष्ट समाज में परिणित हुई, जिसमें हर भारतीय दूसरे भारतीय के विरुद्ध है, सिवाय भगवान के जो उनके विश्वास में खुद रिश्वतखोर है।

http://www.madhyamarg.com/mudde/article-of-brian-on-corruption/

***

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

"अभी नहीं - तो कभी नहीं"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का

अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हेतु

रैली

डॉ. उदित राज (Ex. IRS),
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

26 दिसंबर, 2017

मंगलवार, सुबह 11 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

AIParisangh
AIParisangh
9899766443
parisangh1997@gmail.com
All India Parisangh
www.aiparisangh.com

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

निवेदक : ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, देवी सिंह राणा, एन.डी. राम, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, अर्चना भोयर, सुनील जोडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता (हरियाणा), तरसेम सिंह घारु, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), विजय राज अहिरवार, हीरा लाल (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करूपइया, पी. एन. पेरूमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा, रेव लन्थू हिलेरी ए (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), Ch. दास (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.) पी. बाला (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्ठा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू (कर्नाटक), सीताराम बंसल, निहाल सिंह निहलता (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम)

पताचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

"अभी नहीं – तो कभी नहीं"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एवं ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हेतु

डॉ.उदित राज (Ex. IRS),
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

26 दिसंबर, 2017
मंगलवार, सुबह 11 बजे
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

AIParisangh
AIParisangh
9899766443
parisangh1997@gmail.com
All India Parisangh
www.aiparisangh.com

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

प्रमुख उपलब्धियां

1. तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया
2. बहुजन लोकपाल बिल पेश करके लोकपाल में आरक्षण कराया
3. 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने
4. पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की
5. संसद में सबसे अधिक दलित मुद्दे उठाए
6. पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन

प्रमुख मुद्दे

1. पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण
2. आरक्षण कानून बनाओ
3. सेना और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण
4. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना
5. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
6. समान शिक्षा एवं भूमिहीनों को भूमि
7. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
8. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
9. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
11. जम्मू व कश्मीर में धारा 370 हटाया जाए और आरक्षण लागू हो

साथियो,

लोगों को यह लगता है कि पदोन्नति में आरक्षण भी समाप्त हो रहा है, उसको लेकर प्रभावित लोग कुछ चिंतित हैं, उससे भी बड़ा खतरा सरकारी नौकरी लगभग समाप्ति की ओर है। कारण है आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी, विनिवेश और एफ.डी.आई. आदि। जहां पहले हजारों की भर्ती की सूचना अखबारों में निकलती थी अब कभी-कभार कुछ ही देखने को मिलता है। सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बी.ई.एम.एल., सालेम स्टील प्लांट जैसी सरकारी कंपनियों को हाल ही में बेच दिया गया है, अब यहां आरक्षण खत्म। अभी 21 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हुआ और एअर इंडिया, जहां लाखों नौकरियां हैं, निजीकरण के रास्ते पर है लेकिन आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने ही निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात सन् 2002 से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस में ला दिया था लेकिन आवश्यक सहयोग न होने की वजह से यूपीए सरकार जो कुछ करने वाली थी वह भी रुक गया। ठेकेदारी का रास्ता निकालकर सरकारी नौकरी ही नहीं समाप्त की जा रही है, बल्कि मजदूरों का आर्थिक शोषण भी तेज हो गया है। शिक्षा के निजीकरण की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव बढ़ा है, चाहे वह हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला का मामला हो या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय हो। जातीय पूर्वाग्रह के कारण ही सहारनपुर में भीम सेना ने जन्म लिया और दबंगों और दलितों के बीच भीषण संघर्ष जारी है।

जब तक कुछ बातों पर विमर्श नहीं होता तब तक संघर्ष भी सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। पहला, विधायक, सांसद, मंत्री इसलिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दलित का भी वोट इनके कहने से नहीं बल्कि राजनैतिक पार्टियों के प्रभाव से पड़ता है। जब एक दलित सांसद खुद के लिए दलित का वोट प्राप्त नहीं कर पाता तो वह क्या इनके लिए लड़ सकता है? जब अत्याचार होता है तो दलित नेता याद आते हैं। जो ज्यादा दलित-प्रेम दिखाने की कोशिश करता है तो उसी के दूसरे या तीसरे भाई को खड़ा कर दिया जाता है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने यह जरूर कहा था कि राजनैतिक सत्ता से सारे ताले खुल जाते हैं। यह कथन सत्य है लेकिन वे खुद कांग्रेस में रहकर इतना कुछ कर गए, जबकि राजनैतिक सत्ता नेहरू जी के हाथ में थी। जिस तरह से जाट और पटेल समाज बिना नेताओं के सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, वैसा ही करना पड़ेगा, वरना राजनैतिक सत्ता के इंतजार में सबकुछ खो बैठेंगे।

विधायिका और कार्यपालिका आरक्षण खत्म नहीं कर सकती इसलिए न्यायपालिका का सहारा लिया जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण की समस्या मध्य प्रदेश, उ.प्र., जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों में पैदा होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जज का कहना है कि एक ड्राइवर और एक जज एक समान नहीं हो सकते। जातीय व्यवस्था में ड्राइवर एवंज जज समान हैं। ड्राइवर की जिंदगी कार ड्राइविंग सीट पर नहीं बीतती और जज की फाइल में नहीं, इंसान जिंदगी समाज में ही जीता है। इस तर्क के द्वारा न्यायपालिका दलित और आदिवासी आरक्षण में भी क्रीमीलेयर लाने का षड्यंत्र कर रही है। सुप्रीम कोर्ट संसद का अधिकार छीनकर किस तरह से दलित जज कर्णन का हाल किया और आज वे जेल में हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने 5 आरक्षण विरोधी आदेश, जो 1997 में जारी हुए थे, के खिलाफ संघर्ष किया और 3 संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया। पिछड़ों के लिए मिले उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा। बहुजन लोकपाल बिल बनाकर लोकपाल में आरक्षण कराया। 2006 में पदोन्नति में आरक्षण के मुकदमे (नागराज) की पैरवी सरकार से 40 लाख रूपये दिलवाकर निजी वकील से करायी। डॉ. उदित राज ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश किया, जाट और मराठा जैसे सामाजिक आंदोलन का समर्थन मिला होता तो अब तक संसद कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाती। देश में परिसंघ ही एक ऐसी संस्था है, जो लाखों कर्मचारियों व अधिकारियों की समस्याओं के लिए पत्र लिखकर या टेलीफोन करके सहायता करता रहता है। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। क्या देश में कोई अन्य ऐसी संस्था है जिसने अधिकार दिलाया हो और वैचारिक लड़ाई भी लड़ी हो। हां, कुछ संगठन हैं जो दुश्मन को गाली-गलौच देकर लोगों को एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन क्या मैदाने जंग में अधिकार लेने के लिए कभी आए। परिसंघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनो में आगे है। हम तो कहते हैं कि परिसंघ से अच्छा कोई और संगठन हो तो उसका साथ दो नही तो जात-पांत, एवं अहंकार भूलकर 26 दिसंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में 11 बजे लाखों की संख्या में शामिल हों। याद रखें कि संख्या ही एक हमारी ताक़त है। लाखों गोष्ठी और स्थानीय मीटिंगें जगह-जगह पर कर ली जाएं तो उसका प्रभाव नहीं होने वाला है, जितना कि लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा होकर।

निवेदक : ओम प्रकाश सिंहमार, परमेन्द्र, देवी सिंह राणा, एन.डी. राम, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, अर्चना भोयर, सुनील जोडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता (हरियाणा), तरसेम सिंह घारू, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), विजय राज अहिरवार, हीरा लाल (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा, रेव लन्घू हिलेरी ए (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), बैण दास (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.) पी. बाला (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू (कर्नाटक), सीताराम बंसल, निहाल सिंह निहलता (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम)

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

For Reservation in Promotion & Pvt. Sector & Ban on Contract System

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

RALLY

26th December, 2017
Tuesday, at 11 AM
Ramlila Ground, New Delhi

AIParisangh
AIParisangh
9899766443
parisangh1997@gmail.com
All India Parisangh
www.aiparisangh.com

Join in large number to make the Rally successful

Corres. : T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09868978306, Telefax : 011-23354843

Major Achievements:

1. Saved Reservation through 3 constitutional amendments
2. Secured Reservation in Lokpal
3. Lakhs of people adopted Buddhism on 04 th November, 2001
4. Raised issue of reservation in higher judiciary
5. Raised highest number of questions about SC/ST cause in Parliament
6. Espoused the cause of OBCs in higher education

Major Issues :

1. Reservation in promotion and in private sector
2. Enact Reservation Act
4. Reservation in higher judiciary and armed forces
5. Ban recruitment on contract
6. Special recruitment drives to fill backlog posts
7. Free and Equal Education and land to the landless
8. Law for implementation of SCP and TSP
9. Caste certificates of one state made valid in all states
10. Increase in educational scholarships in line with price rise
11. All India Judicial Services to be implemented
12. Reservation in Jammu and Kashmir by removing Article 370

We, a few affected feel that reservation in promotion is a very important issue but the real danger is the erosion of government jobs which is being done under the garb of Outsourcing, Contract System, Disinvestment and FDI etc. It is indeed very dangerous as it is going unnoticed by most. There was a time when thousands of government jobs used to be advertised in the newspapers but now they are reduced to a few. Central Electronics Limited, BEML, Salem Steel Plant like public sector undertakings have been privatized which means the death of reservation. Recently 21 railway stations were privatized and one of the largest govt company, Air India is on the verge of privatization without provision of reservations.The All India Confederation Of SC/ST Organization raised the issue of reservation in private sector from the year 2002 onwards. Since then it has gained momentum and became a national issue. The UPA government was pressurized to do something in this direction but due to weak mass support on our side , it was scuttled. The contract system is not only killing the jobs in the government but also increasing economic exploitation of workers. The privatization in education has excluded Dalits, Tribals, OBCs and Minorities. Discrimination in academia has become the order of the day, the painful demise of Rohit Vemula being case in point.Caste abhorrence and atrocities have led to the birth of organizations like Bhim Sena.

There are contradictions and without resolving them the struggle cannot be headed in the right direction. Do not expect from the Dalit and Adivasi legislators who will fight for you because SCs/STs vote under the influence of political parties. A Dalit Legislator can't get votes of Dalits on his own appeal . If a legislator tries to be vocal for the cause, he will be side lined and others will replace . Baba Saheb Ambedkar was right in saying that political power is the master key .He joined the Congress and did a lot despite the fact that Nehru Ji had master key . The way the Patels and Jaats struggled for reservation without the help of politicians, sets an example for us and similarly we should not wait for political power.

Executives and Legislators cannot do away with reservation ,so the judiciary has been set to this task. The issue of reservation in promotion in UP ,MP and J&K has come up in the Supreme Court . So far there was uncertainty about reservation in promotion but now supreme court is threatening reservation itself. It is suggesting applying the concept of creamy layer in SC/ST akin to OBC reservation, by citing that a driver and a judge cannot be equal. The fact is that a judge or driver if they belong to same caste are equal but lower caste judge cannot be equal to upper caste judges. How Supreme Court,assuming the power of parliament ,has punished dalit judge Karanan who is in jail . A driver lives in society, not on car steering and neither does the judge live in the files of courts.

The All India Confederation of SC/ST Organization (Parisangh) was founded in 1997 to oppose 5 anti-reservation orders and due to it's struggle 3 constitutional amendments were made. It fought for reservation for OBC in higher education. It's Bahujan Lokpal Bill led to the provision of reservation in Lokpal. The Parisangh defended reservation in promotion case (Nagraj) in Supreme Court in the year 2006 by hiring a private lawyer through government for a amount of 40 Lakhs. Dr. Udit Raj, Member of Parliament, succeeded in introducing the private member bill for reservation in Private Sector in the Parliament, but due to lack of mass moment like in the case of Jaats and Patels, it has not progressed further. The Parisangh is the only organization which takes up day to day problems of SC/ST employees in the country. Lakhs of Dalits adopted Buddhism under it's banner on November 4, 2001. Is there any other organization in the country which has fought for ideological and constitutional rights. There are organizations who garner support by showing the enemy , but they never jump into battle field. We say that if there is any other better organization than us, then support that otherwise rise above caste and ego and join the rally on 26th December'17 at Ramleela Ground New Delhi at 11 AM. Remember the strength lies in numbers, having scattered meetings will not serve the purpose.

By: Om Prakash Singhmar, Parmendra, Devi Singh Rana, N.D. Ram, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj (Delhi), Sushil Kamal, Niraj Chak, Raj Kumar (U.P.), Sidharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Archana Bhoyar, Sunil Jode (Maharashtra), S.P. Jaravata (Haryana), Tarsem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajsthan), Vijay Raj Ahirwar, Heera Lal (Uttarakhand), Alekh Mallick, D.K. Behera (Odisha), Paramhans Prasad, Narender Chaudhary, Vipin Toppo (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujrat), S.Karuppaiah, P.N. Perumal (Tamilnadu), Raman Bala Krishanan (Kerala), Madhu Chandra, Rev Langhu Hillery A. (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathod (Telangana), Ch. Das (A.P.), Harsh Meshram, Pradeep Sukhadeve (C.G.), P. Bala (W.B.), Madhusudan Kumar, Wilfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan (Bihar), J.Sreenivasulu (Karnataka), Sitaram Bansal, Nihal Singh Nihalta (H.P), Pradeep Basfore (Assam)

परिसंघ की बेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बने एवं सहयोग राशि भेजें

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की बेबसाइट www.aiparisangh.com पर अब ऑनलाइन सदस्यता एवं डोनेशन का प्रावधान कर दिया गया है। बेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो . 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन डोनेशन कराया गया है और उनके माध्यम से कितने सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा बेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय, राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिचय के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, (http://aiparisangh.com/office-bearers/) ताकि जो लोग अलग-अलग प्रदेशों से बेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी बेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जोन बहराइच मे महिला प्रकोष्ठ की गूँज

दिनांक 12 नवंबर, 17 उत्तर प्रदेश के गोंडा मण्डल में आने वाले बहराइच जिले में पूर्वी जोन कार्यकर्ता सम्मेलन स्थान - कम्युनिटी हॉल ,कल्पीपारा कालोनी, बहराइच में आयोजित हुआ जो बहुत ही जबरदस्त सफल रहा जिसमे मुख्य अतिथि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी और विशिष्ट अतिथि महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार रही, अर्चना भोयर भी रही।

सभा संबोधित करते हुए सविता कदियान पंवार

पूर्वी जोन में आने वाले सभी 6 मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और बड़ी संख्या में विशेषतौर पर महिलाओं की भागीदारी रही आज पूरे देश में परिसंघ के तत्वावधान में महिला प्रकोष्ठ की गुंज पूरे देश में सविता कदियान पंवार जी के नेतृत्व में गूँज रही है।राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार जी के नेतृत्व मे महिला संगठन बडी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश के अनेकों राज्यों मे महिला टीम तैयार हो चुकी है महिला प्रकोष्ठ बनने से यूपी के अनेक जिलो की महिलाएं जुडकर आगे आ रही है और महिलाओं में सामाजिक भागीदारी व अपने अधिकार के प्रति चेतना जाग्रत हो रही है। सविता जी ने अपने संबोधन में महिलाओं को कहा कि आज हमारे देश की पचास प्रतिशत महिलाएं हैं और आज भी विशेषकर यूपी के अनेक ऐसे क्षेत्रों से महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं और हम कुछ जागरूकता के अभाव में कुछ कर नही। पाते आज वक्त है महिलाओं को आगे आने का और देश व समाज के लिए कुछ करने का। बहराइच में सफल कार्यक्रम का पूरा श्रेय मात्र 3 महीने पहले गठित गोंडा मण्डल और बहराइच जिले की पूरी टीम को जाता है जिनके रात दिन अथक प्रयासों से ऐतिहासिक सम्मेलन हो पाया ।

श्री सत्यनारायण जी डॉ. कैलाश जी, डॉ. ममता जी, अनुसूईया सोनकर जी, रूचि वर्मा, शिल्पी मणिक, प्रभा सोनकर, ऊषादेवी, कमला देवी, रिंकी आदि काफी संख्या में व अनेक मंडलो से महिलाओं की भागीदारी रही। यहा तक कि VOB News24 channel मे मीडिया के प्लेटफार्म पर भी हमारी बेटियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील कुमार कमल व महासचिव श्री नीरज चक जी को बहुत-बहुत बधाई व सभी महिलाओं को बधाई जिन्होनें कार्यक्रम में शामिल होकर महिला शक्ति का प्रदर्शन किया ।

- सविता कदियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ
मो. 9873944026

***

सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस पर क्यों चिल्लाए,पढ़िए पूरा सच जो मीडिया ने छुपा लिया !

नई दिल्ली, नेशनल जनमत ब्यूरो।

सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसे तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। मीडिया ने आपको सिर्फ इतना बताया कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गर्मागर्मी का माहौल दिखा जब वकील प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस की बेंच पर चिल्लाए और कोर्ट छोड़कर चले गए। मामला सिर्फ चिल्लाने और सुनवाई छोड़कर जाने का नहीं है इस चिल्लाहट के पीछे छुपा है, भारतीय न्याय व्यवस्था का काला सच। ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि जस्टिस कर्णन ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। आखिर क्यों जस्टिस कर्णन समेत कई जज दीपक मिश्रा को देश का चीफ जस्टिस बनाने के खिलाफ थे? दरअसल मामला ये है कि जजों के नाम पर घूस लेने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलामेश्वर की बेंच ने संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया था। लेकिन संविधान पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ही ये फैसला कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, कोई और बेंच ये तय नहीं कर सकती कि कौन सा केस कौन सी बेंच देखेगी। अब घूस के मामले में दो हफ्ते बाद तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसी दौरान प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए। वो चिल्ला कर बाहर निकल गए। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कुछ तथ्य बताएं हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है -

वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को जो हुआ, वो सबको पता होना चाहिए। ये उनके लिए लिख रहा हूं, जिन्हें पता नहीं है।

1. 2015 में प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट ने केंद्र सरकार के पास एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की अर्जी दी। सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अर्जी थमा दी। काउंसिल ने मना कर दिया।

2. मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट कमेटी ने काउंसिल से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा। केंद्र सरकार ने इस आधार पर मंजूरी दे दी।

3. इस साल मई में काउंसिल ने कॉलेज का जायजा लिया और देखा कि कॉलेज सुनसान है और अस्पताल में ताले बंद हैं। काउंसिल ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी। सरकार ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी।

4. केंद्र सरकार ने काउंसिल से कहा कि वो कॉलेज की तरफ से जमा बैंक गारंटी को इनकैश कर सकता है।

5. ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की। दीपक मिश्रा, अमिताभ रॉय और एएम खानविलकर की खंडपीठ ने केंद्र को फिर से विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि ट्रस्ट के साथ अन्याय हुआ है।

6. प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के एक ट्रस्टी बी पी यादव ने ओडीशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आईएम कुद्दुसी से संपर्क साधा। कुद्दुसी को सेट किया। कुद्दुसी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की।

7. 25 अगस्त को हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगा दी और आदेश सुनाया कि मेडिकल कॉलेज में दाखीले होंगे।

8. चार दिन बाद मेडिकल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

9. 18 सितंबर को मामला सेटल करने के लिए ट्रस्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फैसला फिर से ट्रस्ट के पक्ष में गया। फिर से दीपक मिश्रा इसकी अगुवाई कर रहे थे।

10. अगले दिन CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की। पांच लोग गिरफ्तार हुए।

11. न्यायपालिका में इसी भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत भूषण केस लड़ रहे थे। आनन-फानन में चेलमेश्वर की पीठ खत्म कर दीपक मिश्रा ने अपनी पीठ में इसकी सुनवाई शुरू कर दी।

12. प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में आप भी पार्टी हैं। दीपक मिश्रा ने कहा कि अदालत की अवमानना का केस लागू कर दूंगा। प्रशांत भूषण ने कहा- लगाओ। दीपक मिश्रा ने नहीं लगाया।

13. कोर्ट में जिन वकीलों का केस से कोई लेना-देना नहीं था, उनकी भी सुनी गई, लेकिन केस लड़ने वाले प्रशांत भूषण को इग्नोर किया गया। इसी के बाद प्रशांत कोर्ट छोड़कर बाहर निकल गए।

14. भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर पहली बार आरोप नहीं लगा है। इस आदमी का नाम अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने भी अपने सुसाइड नोट में लिखा था। इतना ही नहीं जस्टिस कर्णन ने भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

इसके बाद भी दीपक मिश्रा को आउट ऑफ द वे जाकर मुख्य न्यायाधीश चुना गया। न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का मामला संगीन है। अगर दीपक मिश्रा ईमानदार हैं तो कायदे से उन्हें इस सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए था। हम जैसे आम आदमी के दिमाग में शक हो रहा है।

https://www.nationaljanmat.com/prashant-bhushan-chief-justice-of-india-deepak-mishra/

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Stories of a Rajput queen

Harbans Mukhia

The Mewar royal descendant Vishwajeet Singh's recent differentiation, in a newspaper article, between history and fiction with regard to the film Padmavati, came as a refreshing surprise. I recount here the historical facts and the popular versions of the story.

Sultan Alauddin Khalji had earned a reputation among contemporary and modern historians for several achievements: Successfully thwarting Mongol invasions of India, conquest of large territories, strictly enforcing low prices of commodities in the markets for the common people's daily purchases, declared defiance of the Shariat in matters of governance etc, but not for lustful pursuit of women. So how does he get tied up with Padmavati? Khalji defeated the Rana of Chittor in 1303 and died in 1316. No one by the name of Padmini or Padmavati existed then — or at any time — in flesh and blood resembling the story. She was born in 1540, 224 years after Khalji's death, in the pages of a book of poetry by Malik Muhammad Jayasi, resident of Jayas in Awadh, a very long way from Chittor. Jayasi was a Sufi poet and followed the poetic format where God is the beloved and man is the lover who overcomes hurdles to unite with the beloved. Khalji embodied the many hurdles. There are just two historical facts relevant to the story: Khalji's attack on Chittor and Rana Ratan Singh's defeat.

But then, besides recorded and verifiable historical facts, there is another set of facts too, culturally constructed and embodied in popular memory, told, retold and retold yet again. Untrained to distinguish historical facts from cultural memory, these acquire the status of history for common people. Jawaharlal Nehru was particularly sensitive to this blurring in people's minds. As memory does not follow the norm of verifiability, it is subject to quick metamorphoses.

The Padmavati story, like many others, has undergone several mutations. Ramya Sreenivasan has traced the wide circulation and mutation of the story from North India and Rajasthan to Bengal from the 16th to the 20th century in her magnificent book, The Many Lives of a Rajput Queen. To begin with, in Jayasi's version and its several Urdu and Persian translations between the 16th and 20th centuries, Khalji was courting Padmini with a view to marrying her. In Rajasthan, during the same period, the emphasis changed to the defence of Rajput honour which had come to be invested in Padmini's body. It was in Bengal in the 19th century that Padmini acquired the persona of a heroic queen committing jauhar in order to save her honour against a lusty Muslim invader. Concealed in it was a vicarious patriotic resistance to colonial dominance which also characterised other literary productions in the region such as Bankim Chandra's celebrated Anand Math.

It is this memory in Rajasthan that has been turned into a hard, unambiguous historical fact which brooks no disputation. The inversion of a character imagined by a Muslim poet into the defender of Hindu honour can pass quietly unnoticed.

This brings us to the present-day political context. While communal conflict is not a late entry into the Indian social and political scenario, for it has often been used as a form of electoral mobilisation, what is new is its propagation with the use of state power almost as an inalienable attribute. If the Congress tactically flirted with the communal card at times to corner the minority vote and at others to win the majority support, as Indira Gandhi did in Kashmir in 1983, for the Sangh Parivar this lies at the very heart of its ideology and is now flaunted openly as Hindutva.

The Parivar has long envisioned a consolidated Hindu vote bank. M S Golwalkar had sought to accomplish this by restricting the franchise to the Hindus alone. That is also the target of the present regime, by implicitly disenfranchising the largest minority, the Muslims — to begin with, by making its vote irrelevant to their electoral strategy. Social acceptance of this irrelevance is promoted by a demonisation of Muslims, past and present, in which each individual, and by extension, the community, is projected as cruel, lusty, and above all, an enemy of the Hindus.

It is strategic for it to create the image of the 80 plus per cent Hindu community under siege by the Muslims and to create a long "history" to back it up. If historical facts point to a more mixed picture of interaction, one where Hindus and Muslims do not stand in exclusive, opposing camps, manufacture a dispute, change the text books and let MLAs and ministers have the final word on what constitutes true history. There is the popular memory to be mobilised as its authentic version. It is notable that no professional historian of the Parivar, if there is one, has come forward to engage in a discussion of what the Parivar claims is the wrong, left-liberal history, whatever it means. No serious book, or even an article, has been written on this theme so far. All we have are loud screams on TV channels and periodic declarations by non-historians that all history has so far been a single distorted version; no one has taken note of the fact that there is not one but innumerable "left-liberal" and other versions of history and that often "left-liberals" have been sharply critical of one another; nor has anyone unearthed any new facts hitherto ignored or proposed a clear new nationalist version of how history should be written.

There is much to be gained by the Sangh Parivar from this strategy. Whether the BJP wins or loses the next election, the social discourse will remain fixated on the Hindu-Muslim question, from Akbar and Aurangzeb to Taj Mahal and Padmavati, and the questions of economy, development, equality, Dalits, caste oppression, cleavages within communities etc will remain on the sidelines — the very colonial strategy of divide and rule.

The writer taught medieval history in JNU

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/padmavati-alauddin-khalji-rana-ratan-singh-chittor-rajasthan-stories-of-a-rajput-queen-4940877/

***

'Lower' Castes Original Producers of Knowledge, 'Upper' Castes Simply Accumulated Wealth: Kancha Ilaiah

Author, political theorist and Dalit rights activist Kancha Ilaiah Shepherd was recently placed under house arrest in Hyderabad and prevented from attending a rally in Vijaywada. The scholar who is also Director for the Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy at the Maulana Azad National Urdu University was receiving death threats even since the Telugu translation of his book Post-Hindu India was published. In an exclusive interview to CJP, Shepherd tells us why we need to change the way we look at the caste system.

One cannot deny that people belonging to certain castes in India have historically enjoyed greater privilege than others. However, it is these people who are the most uncomfortable with even talking about the caste system. "Historically high-end communities are the most caste conscious people," says Kancha Ilaiah Shepherd matter of factly. "However, they don't like having a public discourse on caste. The 'lower' castes have always demanded such discourse, so they can fight against oppression and bondage," he explains.

Ilaiah questions the concept of meritocracy as proposed by the so called 'upper' castes. "The farmer who uses his knowledge to make land produce food, the potter who uses his skills to give shape to wet earth, the craftsmen who forge metal… how can you claim that they or their descendants lack knowledge or merit," he asks. "Merit is currently being defined by caste and used as an excuse to perpetuate exclusion in institutes of learning and subsequently in the job market," he says. "This form of exclusion is not new. For centuries Sanskrit that was the language of higher learning was only taught to Brahmins, thereby preventing others from gaining knowledge in order to improve their socio-economic standing," he explains.

Ilaiah proposes we reorient our view of caste. "Instead of the merit vs non-merit dichotomy, we should recognise the productive vs non-productive dichotomy in our caste system," says Ilaiah. "Historically it was the 'lower' castes who produced everything from food crops and tools to metal-ware, clothes and shoes. It was the artisans and carpenters, the people who engaged in cattle rearing and tribals who harnessed forest produce who have always been the backbone of the economy," asserts Ilaiah. "However, it was the upper castes that accumulated wealth because of their higher social standing that gave them power over the lives, labour and resources of the lower castes. This is how they engaged in social smuggling," he says explaining the origin of the contentious term that is the cause of most threats to his life today.

Ilaiah received flak for using the term "social smugglers" to describe the Arya Vysyas community. He not only received death threats, he was also dragged to court with a Public Interest Litigation filed demanding that his book be banned. However, the Supreme Court dismissed the PIL. Ilaiah feels that there has been an increase in the clampdown on the intellectual environment under the present dispensation. "They are against the very idea of freedom of expression. What's worse is that they act against dissenters by labelling them as anti-national. But isn't denying the people who are responsible for creating a bulk of the nation's wealth their rights by questioning their merit the real anti-national agenda," he asks.

But Ilaiah is more interested in finding solutions rather than pointing fingers. "All these big corporates build schools under their corporate social responsibility initiatives. But how many of these schools are built in Dalit or tribal areas," he asks. Ilaiah believes we need more schools in these areas, especially to help these children become comfortable with English language as it acts as a major stepping stone to better career prospects and gives them a more even platform.

Ilaiah also makes an impassioned appeal for reservations for jobs in the private sector. "Most people look at reservations as unnecessary hand-outs. But had it not been for reservation, I would not have acquired higher education. Also, there are cliques not just in institutes of higher learning, but also in the private sector job market. These exclusive networks ensure that only upper caste people find jobs. Dalits, adivasis and members of backward castes find it difficult because they don't have any contacts," he explains. "Look at our media houses. When was the last time you say a Dalit or Adivasi anchor," he asks. "One of the reasons that there aren't enough stories about lower castes is because people from backward communities are missing from our newsrooms," he asserts making a case for a more inclusive employment policy that ensures that the talent pool remains diverse and everyone has an equal chance.

https://cjp.org.in/lower-castes-original-producers-of-knowledge-upper-castes-simply-accumulated-wealth-kancha-ilaiah/

***

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 1 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 30 November , 2017

Sample of the Poster for the comming Rally is being published. It is an ernest appeal ot the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State And District Units and distribute.

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

For Reservation in Promotion & Pvt. Sector & Ban on Contract System

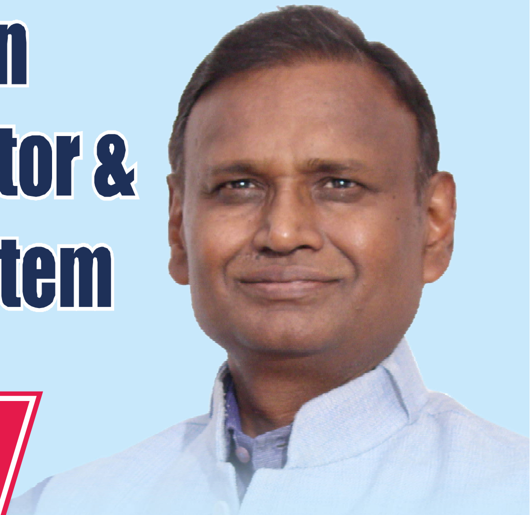

RALLY

26th December, 2017

Tuesday, at 11 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

AIParisangh
AIParisangh
9899766443
parisangh1997@gmail.com
All India Parisangh
www.aiparisangh.com

Join in large number to make the Rally successful

By: Om Prakash Singhmar, Parmendra, Devi Singh Rana, N.D. Ram, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj (Delhi), Sushil Kamal, Niraj Chak, Raj Kumar (U.P.), Sidharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Archana Bhoyar, Sunil Jode (Maharashtra), S.P. Jaravata (Haryana), Tarsem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajsthan), Vijay Raj Ahirwar, Heera Lal (Uttarakhand), Alekh Mallick, D.K. Behera (Odisha), Paramhans Prasad, Narender Chaudhary, Vipin Toppo (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujrat), S.Karuppaiah, P.N. Perumal (Tamilnadu), Raman Bala Krishanan (Kerala), Madhu Chandra, Rev Langhu Hillery A. (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathod (Telangana), Ch. Das (A.P.), Harsh Meshram, Pradeep Sukhadeve (C.G.), P. Bala (W.B.), Madhusudan Kumar, Wilfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan (Bihar), J.Sreenivasulu (Karnataka), Sitaram Bansal, Nihal Singh Nihalta (H.P), Pradeep Basfore (Assam)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya